न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-1, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण सं० 396/2009

स्टेट बनाम राजनाथ राम

अन्तर्गत धारा-306 भा०दं०सं०

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

दिनांक-24.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **राजनाथ राम** जिला कारागार आजमगढ़ से उपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाहों को शपथ पर परीक्षित कराया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता चनरमी देवी के मृत्यु के सम्बन्ध में सी०डब्लू01 के रूप में हेड शोभनाथ यादव को शपथ पर परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्ता चनरमी देवी की मृत्यु लगभग 6 माह पूर्व होना बताया है तथा अपने कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत बेलऊ वि०खं० ठेकमा आजमगढ़ द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की आख्या कागज सं० 139ख/2 प्रस्तुत किया है जिसमें अभियुक्ता चनरमी देवी पत्नी स्व० गनई राम की मृत्यु लगभग 6 माह पूर्व होना उल्लिखित है। ऐसी दशा में अभियुक्ता चनरमी देवी के विरूद्ध इस वाद की कार्यवाही अवेट किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता **चनरमी देवी** पत्नी स्व० गनई राम ग्राम व पोस्ट बेलऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध **इस वाद की कार्यवाही उपशमित (अवेट) की जाती है** तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 07.07.2022 को पेश हो।

दिनांक-24.06.2022

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०-1, आजमगढ़।